

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 57
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | | संशोधित 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | |
|---|--------------------|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |
| वसूलियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति | 9.49 | ... | 9.49 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान | 325.00 | ... | 325.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान | ... | ... | ... | 15.00 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 15.00 |
| 4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता | 626.00 | ... | 626.00 | 951.00 | ... | 951.00 | 951.00 | ... | 951.00 | 951.00 | ... | 951.00 |
| 5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र) | ... | ... | ... | 200.00 | 0.01 | 200.01 | 200.00 | 0.01 | 200.01 | 200.00 | 0.01 | 200.01 |
| जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |
| कुल जोड़ | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | ... | 1168.00 | 1168.00 | ... | 1168.00 | 1168.00 | ... | 1168.00 |
| 2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| जोड़-अन्य | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |
| कुल जोड़ | 960.49 | ... | 960.49 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 | 1168.00 | 0.01 | 1168.01 |

1. **1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति:** इसमें 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए बढ़ाए गए मुआवजे के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

2. **केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान:** संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय करों और केन्द्रीय सहायता में हिस्सेदारी के बदले अनुदान को वीई 2023-24 से संघ राज्य क्षेत्रों केन्द्रीय सहायता में शामिल कर दिया गया है।

3. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान के संबंध में अनुदान के लिए है।
4. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।
5. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र):** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए है।